न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 550/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. प्रहलाद राम पुत्र गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. दलवीर राम पुत्र गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सन्तरो पुत्री गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. सुन्दर 7. टोनी पि0 स्व0 गेजो पुत्री गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 646/33 की कुल 11.1790 हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है गंगाबिशन पुत्र चुन्नी का देहान्त हो चुका है गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है जो गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 जो की वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की बहिने है एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 भानजा व भानजी है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे ... दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद पक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 646/33 की कुल 11.1790 हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में मृतक गंगाबिशन पुत्र चुनी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक 1/24 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक 1/24 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 प्रत्येक 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 646, मृत्यु प्रमाण पत्र गंगाबिशन, भूरीदेवी, गेजो देवी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के नाम दर्ज है वादी के पिता गंगाबिशन पुत्र चुन्नी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 646/33 की कुल 11.1790 हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता गंगाबिशन पुत्र चुन्नी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 646/33 की कुल 11.1790 हैक्ट भूमि मे से 1/3 हिस्सा भूमि गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक गंगाबिशन पुत्र चुन्नी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1/24 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 1/24 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 बहिब 1/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 550 / 2023
अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. प्रहलाद राम पुत्र गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. दलवीर राम पुत्र गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सन्तरो पुत्री गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. सुमित्रा पुत्री गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. सुन्दर 7. टोनी पि0 स्व0 गेजो पुत्री गंगाबिशन जाति बाल्मिकी निवासी सोनड़ी।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 550 सन 2024 निर्णय दिनांक 12/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता संख्या 646 / 33 की कुल 11.1790 हैक्ट भूमि मे से 1 / 3 हिस्सा भूमि गंगाबिशन पुत्र चुन्नी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक गंगाबिशन पुत्र चुन्नी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 प्रत्येक को 1 / 24 हिस्सा भूमि का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक को 1 / 24 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 7 बहिब 1 / 24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:02:56 IST
Reason: SelfAttested